न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— विनित कुमार सुखाडिया (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 47 / 2020

1. अमन नागर आयु 19 साल आ0 हेमराज जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0
2. गगन नागर आयु 14 साल आ0 हेमराज जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0पाटन जिला बून्दी राज0 जर्ये संरक्षक माता विमला बाई पत्नि हेमराज जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. हेमराज आयु 46 साल आ0 किशनलाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—— वादीगण

बनाम

1. किशनलाल आयु 72 साल आ0 गोपाल जाति धाकड निवासी रंगपुरिया तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0पाटन

—— प्रतिवादीगण

वाद:— अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि
अन्तर्गत धारा 88,89,53 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादी की ओर से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, एडवोकेट
2— प्रतिवादीगण की और से श्री निलेश कुमार सामरिया, एडवोकेट।

—::निर्णय::— दिनांकः 27.07.2021

1. वादीगण के द्वारा दिनांक 21.07.2020 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नया 28 व पुराना 23 की कृषि भूमि खसरा संख्या 209 रकबा 0.13 है0, खसरा सं. 210 रकबा 0.84 है0, ख.सं. 223 रकबा 0.84 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम व माल रंगपुरिया,

पटवार हल्का चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है जो पुरखो से पीढ़ी दर पीढी चली आ रही है तथा अन्य कृषि भूमि भी पुश्तैनी कृषि भूमि से प्राप्त आय से प्राप्त की गई है। इसलिये पुश्तैनी भूमि है। जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज होने से उक्त भूमि को रहन, बय व अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वाद वर्णित कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को 1/2–1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज किया जावे।

3. वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से दिनांक 19.07.2021 को आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया।

4. बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 19.07.2021 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 28 की खसरा सं. 209 रकबा 0.13 है0, खसरा सं. 210 रकबा 0.84 है0, खसरा सं. 223 रकबा 0.84 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम रंगपुरिया तहसील के0 पाटन, वादी सं. 1 अमन नागर, वादी सं. 2 गगन नागर व वादी सं. 3 हेमराज के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 27 की खसरा सं. 643/763 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रंगपुरिया तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 के खाते में यथावत दर्ज रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

डिकरी ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd' -1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0 पाटन

इजलास – विनित कुमार सुखाड़िया
(आर.ए.एस.)

अमन नागर v/s किशनलाल

वादः– अधिकार घोषणा व बंटवारा भूमि

मुकदमा नम्बर :: 47/2020

वादी की और से श्री चन्द्रप्रकाश नागर, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री निलेश कुमार सामरिया की उपस्थिति में आज दिनांक 27.07.21 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

''वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता संख्या 28 की खसरा सं. 209 रकबा 0.13 है0, खसरा सं. 210 रकबा 0.84 है0, खसरा सं. 223 रकबा 0.84 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम रंगपुरिया तहसील के0 पाटन, वादी सं. 1 अमन नागर, वादी सं. 2 गगन नागर व वादी सं. 3 हेमराज के हिस्से में रहेगी। आराजी खाता सं. 27 की खसरा सं. 643/763 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम रंगपुरिया तहसील के0 पाटन, प्रतिवादी सं. 1 के खाते में यथावत दर्ज रहेगी। बैंक रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।''

नीज .... ग .... मुबलिक ....ग .... बाबत .... ग .... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... ग .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/07/2021 को जारी की गई।

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(विनित कुमार सुखाड़िया)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन